अध्याय
06

नागरिकता

सीखने के प्रतिफल

इस अध्याय में विद्यार्थी नागरिकता तथा नागरिकता के विभिन्न पहलुओं को जान सकेंगे।

नागरिकता

अर्थ –

- किसी भी देश या राष्ट्र में राज्य की ओर से नागरिकों को कुछ ऐसे राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो अन्य लोगों को प्रदान नहीं किए जाते।
- नागरिकता इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है, राज्य के प्रति उसकी स्थाई निष्ठा है और वह राज्य द्वारा इस बात की आधिकारिक स्वीकृति भी पा लिया है।
- किसी राष्ट्र के नागरिक होने का महत्व हमें तब समझ में आता है, जब हम दुनिया भर के उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं, जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी या अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है।

परिभाषा–

- नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है।
- नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण ही नहीं करता बल्कि यह नागरिकों के आपसी संबंधों की व्याख्या भी करता है।
- नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को कानूनी रूप प्रदान करती है।

नागरिकता के विभिन्न पहलु तथा चुनौतियां

संपूर्ण और समान सदस्यता

- संपूर्ण और समान सदस्यता का अर्थ है देश के नागरिकों को देश के भीतर कहीं भी बसने, पढ़ने तथा रोजगार की तलाश में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता।
- यह अधिकार एवं अवसर देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होता है।

© JCERT not to be republished

- गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने पर अनेक लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास करते हैं।
- अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हो तब स्थानीय लोग बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध करती है तथा कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग करती है।
- हालांकि, ऐसे विवादों का समाधान संधि वार्ता और विचार- विमर्श से हो सकता है।

समान अधिकार

- नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू कर दी जाए, क्योंकि विभिन्न समूह के लोगों की जरूरत भिन्न-भिन्न हो सकती है
- समान नागरिकता का अर्थ है की राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को चाहे वह अमीर या गरीब हो कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दिया जाना।
- भारत के हर शहर में एक बड़ी आबादी झोपड़पट्टी में रहती है, यद्यपि यह लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम कम मजदूरी पर करते हैं फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनने या अपराध एवं बीमारी फैलाने का आरोप मढ़ा जाता है।
- हमारे देश में आदिवासी और वनवासी समुदाय के लोग अपने जीवन- यापन के लिए जंगल तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जबकि बढ़ती आबादी, खनिज संसाधनों का दोहन तथा पर्यटन उद्योग के कारण उनकी जीवन पद्धति तथा आजीविका पर संकट में है।
- हमारी सरकारें इस सवाल से जूझ रही है कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों और इनके रहवास की सुरक्षा कैसे की जाए।

नागरिक और राष्ट्र

- एक राष्ट्र या राष्ट्रराज्य सिर्फ निश्चित भू-क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि एक साझा संस्कृति तथा इतिहास को भी परिभाषित करती है, जो अपनी राष्ट्रीय पहचान को झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा जैसे प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है।
- हमारे संविधान में भी अपने नागरिकों यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दलित, पिछड़े वर्ग जैसे भिन्न-भिन्न समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया है।इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों की पहचान को बनाए रखने का प्रयास भी किया है।
- कई देशों की नागरिकता संबंधी नीतियां धर्म या जातिय मूल की भावना से प्रभावित होती है ।जैसे कि इजराइल तथा जर्मनी अन्य देशों के लोगों को नागरिकता प्रदान करने में धर्म या जातिय मूल जैसे तत्वों को वरीयता देते है।

© JCERT not to be republished

आधुनिक काल में नागरिकता के दो अन्य पहलुओं पर भी चर्चा होती है।

सार्वभौमिक नागरिकता

- किसी देश की नागरिकता उन सब को उपलब्ध होती है, जो सामान्यतः उस देश में रहते हैं या काम करते हैं। अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताएं बल का प्रयोग करती है।

- युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से अनेक लोग विस्थापित होकर अन्य देशों में शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर होते हैं। जैसे सूडान के डारफुर क्षेत्र के शरणार्थी, बर्मा के रोहिंग्या शरणार्थी इत्यादि।

- राज्यविहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। ऐसे लोगों के लिए अनेक देश सार्वभौमिक नागरिकता का समर्थन करते हैं ,लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करतें हैं।

विश्व नागरिकता

- आज संपूर्ण विश्व संचार के साधनों यथा इंटरनेट, टेलीविजन तथा सेल फोन से जुड़ा हुआ है, इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों में साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिली है।

- अनेक विद्वान विश्व नागरिकता के समर्थन में दलील देते हैं उनके अनुसार राष्ट्रीय सीमा से बाहर जाकर किसी देश की समस्या का समाधान संयुक्त रूप से वैश्विक स्तर पर किया जाना चाहिए।

© JCERT not to be republished

अभ्यास के प्रश्न

* वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. किसी देश का नागरिक अपने देश के प्रति स्थाई.....रखता है।

   a. शंका। b. घृणा

   c. निष्ठा d. क्रोध

2. एक राजनीतिक समुदाय के पूर्ण तथा समान सदस्य को उसका..... कहा जाता है।

   a. गुलाम b. अधिकारी

   c. नागरिक d. राजा

3. अपने नागरिकों को बुनियादी अधिकारों तथा न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देता है।

   a. मानवता b. राज्यसत्ता

   c. तानाशाह d. जनता

4. भारत का राष्ट्रीय प्रतीक.....है।

   a. तिरंगा b. गुलाब

   c. पक्षी d. इनमें से कोई नही

5. युद्ध, उत्पीड़न या अकाल के कारण लोग.....बनने को मजबूर हो जाते हैं।

   A. गुलाम b. शरणार्थी

   c. विद्रोही d. राजा

* लघु उत्तरीय प्रश्न

6. शरणार्थी या अवैध प्रवासी के रूप में लोग रहने को मजबूर क्यों है?

7. शहर की एक बड़ी आबादी झोपड़पट्टी के लोगों को नापसंद क्यों करते हैं?

8. वर्तमान समय में आदिवासी समुदाय के लोग किस संकट का सामना कर रहे हैं?

* दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9. नागरिकता को परिभाषित करें एवं नागरिकता के विभिन्न पहलु तथा चुनौतियों को स्पष्ट करें।

10. शरणार्थी किसे कहा जाता है? सार्वभौमिक तथा विश्व नागरिकता की व्याख्या करें।

© JCERT not to be republished